न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 558/2022

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. दीनदयाल पुत्र किशन गोपाल 2. शांतिलाल पुत्र वासुदेव 3. दाऊलाल पुत्र जसराज (समस्त जाति, ब्राह्मण, निवासीगण गोपा, तहसील फलौदी, हाल जिला फलौदी)		1. गोविन्दराम पुत्र अमरदास मेघवाल निवासी गोपा, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी, जिला फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी फलौदी, हाल जिला फलौदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2022 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2022

उपस्थित–
1. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट्स
2. श्री रूघाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 2

निर्णय

दिनांक 3 .02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी फलौदी, हाल जिला फलौदी द्वारा अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2022 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–गोविन्दराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कि ग्राम गोपा के खसरा नं0 123 रकबा 25 बीघा उसकी आवंटित भूमि स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 24.10.1970 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई थी। जो लिपिकीय भूलवश जमाबंदी में प्रार्थी के नाम खातेदारी में अंकन नही हुई। उक्त भूमि पर प्रार्थी का निर्बाध कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थी अनपढ होने की वजह से उसे इसकी जानकारी

नही रही, दिनांक 17.02.2022 को जमाबंदी की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी से संपर्क करने पर इसकी जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्वीकृत ना0क0सं0 32 के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज कराने का आदेश फरमाने फरमावे। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार तहसीलदार फलौदी को ग्राम गोपा के ना0क0सं0 32 दिनांक 24.10.1970 के अनुसार खसरा नम्बर 123 रकबा 245.08 बीघा में से 25 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी को खातेदार दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम गोपा के खेत ख0नं0 123 रकबा 245.08 बीघा में से 25 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 32 सरपंच ग्राम पंचायत बावडी द्वारा जरिये आवंटन दिनांक 15.10.1970 को खोला जाकर, विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया था। जिस पर रेस्पो0–प्रार्थी का कब्जाकाश्त नही होने से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही किया गया। इसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 आरएलआर एक्ट के प्रार्थना पत्र के तहत स्वीकार कर प्रार्थी को खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। ख0नं0 123 रकबा 39.7239 हैक्टर भूमि खनिज विभाग, राज0 सरकार के नाम दर्ज है, मौके पर उक्त भूमि में लुणैरराय देवी मन्दिर का ओरण व पहाड़ है। जो किसी प्रकार काबिल काश्त नही है। रेस्पो0सं0 1 द्वारा सन् 1970 से आज तक वादग्रस्त भूमि में काश्त नही की है और न ही पूर्व में उक्त भूमि पर उसकी काश्त थी। वर्ष 1970 में रेस्पो0सं0 1 बालिग ही नही था, इस कारण रेस्पो0 को भूमि आवंटन का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। उक्त आवंटन आदेश मिथ्या है, जो राजस्व रेकर्ड में मौजूद ही नही है। आवंटन आदेश का म्युटेशन स्वीकृत करने का अधिकार तहसीलदार को है, सरपंच ग्रा0पं0 आवंटन आदेश से म्युटेशन स्वीकृत नही कर सकता है। इस कारण ना0क0सं0 32 विधि विरूद्ध एवं शून्य होने से उक्त ना0क0 के आधार पर धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार देने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई

कानूनी अधिकार नही है। धारा 136 के तहत राईट तय नही हो सकते है, अपितु धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत राईट तय करने के प्रावधान है। परंतु ख0नं0 123 का सम्पूर्ण रकबा खनिज विभाग की खातेदारी में दर्ज होने से राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत खातेदारी देने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है, इस कारण अपीलाधीन आदेश धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत पारित करवाया गया है। आलौच्य प्रकरण में खनिज विभाग को पक्षकार नही बनाया गया एवं आपसी मिली भगती से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खातेदारी अधिकार तय कर दिये गये। जबकि खनिज विभाग आवश्यक पक्षकार होने से उसकी सुनवाई आवश्यक थी। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट नही मंगवायी गई और न ही उक्त भूमि खनिज विभाग के नाम दर्ज होने पर ध्यान दिया गया। मौके पर पहाड एवं पुराना लुणेरराय देवी का मंदिर बना हुआ है तथा सैकडो वर्ष पुराना ओरण है, उक्त भूमि काबिल काश्त नही है। रेस्पो0सं0 1 के नाम खसरा गिरदावरी नही है और न ही खसरा परिवर्तनशील में कोई कब्जा काश्त दर्ज है। धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत केवल लिपिकीय त्रुटी ही संशोधित की जा सकती है। ना0क0सं0 32 सरपंच ग्रा0पं0 बावड़ी द्वारा नामालूम तारीख स्वीकृत किया गया, उसके 52 वर्ष पश्चात दिनांक 10.3.22 तक उक्त ना0क0 अमल दरामद क्यो नही हुआ तथा इतने विलंब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई आधार नही बताया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं वाक्याती मिसल होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत–आरआरटी 2023 (2) पेज नं0 799–802, आरआरटी 2024(2) पेज नं0 1283–88 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम गोपा के खसरा नं0 123 रकबा 25 बीघा उसकी आवंटित भूमि है, जिस पर प्रार्थी कब्जा काश्त है व परिवार सहित निवास करता है। उक्त भूमि उसे एलोटमेन्ट कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी। जो नामान्तरकरण संख्या 32 द्वारा प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई, लेकिन लिपिकीय भूलवश राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नही हुई। उक्त भूमि पर प्रार्थी का निर्बाध कब्जाकाश्त चला

आ रहा है, जिसमें आज दिन तक किसी ने दखलअंदाजी नही की। प्रार्थी अनपढ व्यक्ति होने की वजह से उसने जमाबंदी की नकल प्राप्त नही की, दिनांक 17.02.2022 को जमाबंदी की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी से संपर्क करने पर उसे जानकारी हुई कि उसके नाम दर्ज ना0क0सं0 32 की भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकन नही हुआ। उक्त लिपिकीय भूल को सुधार कर जमाबंदी में प्रार्थी का नाम दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार फलौदी द्वारा ग्राम गोपा के खेत खसरा नम्बर 123 का रेकर्ड/जमाबंदियां, प्रार्थी को आवंटन के समय से आज तक पेश की गई। जिसमें प्रार्थी का कहीं पर भी नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया कि ग्राम गोपा का ना0क0सं0 32 जो पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है, के अनुसार ग्राम गोपा के ख0नं0 123 रकबा 245.08 बीघा में से 25 बीघा भूमि, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी को खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जो विधि सम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने उक्त ना0क0सं0 32 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 02/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत कर आग्रह किया कि इसमें पारित निर्णय द्वारा अपील खारिज कर अपीलाधीन ना0क0 को यथावत रखा गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायिक निर्णयों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1– प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश के ना0क0सं0 32 दिनांक 24.10.1970 के करीब 52 वर्ष पश्चात राजस्व अभिलेख जमाबंदी में आवंटित भूमि दर्ज करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ख0नं0 123 का रेकर्ड/

जमाबंदियों में प्रार्थी खातेदार दर्ज नही होने से, उक्त ना0क0 के अनुसार प्रार्थी को खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया, जबकि आवंटन नियमों में आवंटन की शर्तो के अध्यधीन कार्यवाही के प्रावधान है। आलौच्य प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा होते है। अतः प्रथम दृष्टया रेस्पो0सं0 1– प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत पोषणीय नही होने से, अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2022 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3.2.26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

3/2/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर